



2026:AHC-LKO:5200-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

प्रथम अपील दोषपूर्ण संख्या - 9 सन 2026

आकांक्षा यादव

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

अमित कुमार यादव

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	इशान बघेल, दीप्ति सिंह, निश्चल वर्मा, शेखर सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	सुमित कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ईशान बघेल की ओर से अधिवक्ता सुश्री दीप्ति सिंह को निर्देश दिया गया है कि वे अपील पर आगे कार्रवाई न करें, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां हैं और एक नई अपील दायर करनी होगी।
3. उपर्युक्त कारणवश कोई कार्यवाही ना चाहे जाने के कारण अपील खारिज की जाती है।
4. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वे न्यायालय के नियमों के अनुसार अपील के साथ दायर किए गए आदेशों की प्रमाणित प्रतियां वापस कर दें।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

जनवरी 22, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।